

फरद अहकाम

नाम न्यायालय AC-3 श्रीमती साकडेरी बनाम धीरेन्द्र सिंह यादव  
 केस संख्या लाजपतपुरी - 41/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्रवाई	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/2/22	<p>पंजावली पिकाड़ी कर्मिण धारणी 2007                      का नाम 2/2 1000 1/4 की जमीन                      के लिए प्रमाण के साथ प्रमाणित करने के लिए                      प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित करने के लिए                      प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित करने के लिए                      प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित करने के लिए</p> <p>सहायक कलक्टर                      जयपुर शहर जिले</p>
31/2/22		<p>पंजावली के लिये वकील अंशुपपुत्रा डफ। मूलका                      में अग्रणी के अंक नाम हपक विभाजन                      में मूलका के अनुसंधान में इस प्रा-प                      रेलोरेशन में श्री अग्रणी संवै का                      नाम हपक विभाजन है प्रा-प                      रेलोरेशन प्रा के स्वीक विभाजन                      मूलका को पुनः नंबर पर विभाजन है                      अतः प्रा-प रेलोरेशन (Ti) को श्री                      1000/- (एक हजार रुपये) शाही पर                      स्वीका विभाजन मूल 71 को पुनः                      नंबर पर लिपे जाने के आदेश दिए                      जाते हैं पंजावली के मूल अंशुमा होकर                      एक नंबर के कम होकर राखिल                      दफ्तार है। निर्णय आज दिनांक                      21/02/2022 को करे इजलाम हुनाम                      शाही मूल 71 मूलका के साथ                      दिनांक 28/02/2022 को प्रकाशित</p> <p>सहायक कलक्टर                      जयपुर शहर जिले</p>

